भारत के राजपत्र के असाधारण अंक के भाग II खंड 3(iii) में दिनांक 07 अगस्त, 2025 को प्रकाशनार्थ।
राज्य के राजपत्र के असाधारण अंक में उसी तिथि को पुनः प्रकाशनार्थ।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

<u>दिनांक: 07 अगस्त, 2025</u>
<u>श्रावण 16, 1947(शक)</u>

<u>अधिसूचना</u>

सं. 480/कार्यक्रम/2025:- यतः, श्री जगदीप धनखड़ द्वारा 21 जुलाई, 2025 को त्यागपत्र देने के कारण भारत के उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है; और

यतः, भारत के संविधान के अनुच्छेद 68 के खंड (2) के अंतर्गत, उक्त रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, रिक्ति होने के पश्चात यथाशीघ्र किया जाना अपेक्षित है; और

यत: राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 (1952 का 31) की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन हेतु तारीख नियत की जानी अपेक्षित है;

अतः, अब, भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा -

(अ) संविधान के अनुच्छेद 66 में निर्दिष्ट निर्वाचक मंडल से यह अपेक्षा करता है कि वे संविधान के प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 (1952 का 31) और तद्धीन बनाए गए नियमों और उनके तहत जारी किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार, भारत के उपराष्ट्रपति के पद की उक्त रिक्ति को भरने के लिए एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें; और

(आ) उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अनुसरण में निम्नलिखित निर्धारित करता है-

(क) नाम निर्देशन करने की अंतिम तारीख - 21 अगस्त, 2025 (गुरुवार);
(ख) नाम निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख - 22 अगस्त, 2025 (शुक्रवार);
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख - 25 अगस्त, 2025 (सोमवार); और
(घ) वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान होगा - 09 सितंबर, 2025 (मंगलवार)

आदेश से,

(सुमन कुमार दास)
सचिव

भारत के राजपत्र के असाधारण अंक के भाग II खंड 3(iii) में दिनांक 07 अगस्त, 2025 को प्रकाशनार्थ। राज्य के राजपत्र के असाधारण अंक में उसी तिथि को पुनः प्रकाशनार्थ।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 07 अगस्त, 2025
श्रावण 16, 1947(शक)

अधिसूचना

480/पी.ओ.पी/2025:- राष्ट्रपतीय एवं उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974 के नियम 8 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा;

(क) अपनी दिनांक 07 अगस्त, 2025 की अधिसूचना सं. 480/कार्यक्रम/2025 के अनुसार उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए मतदान का स्थान कमरा सं. एफ-101, वसुधा, प्रथम तल, संसद भवन, नई दिल्ली नियत करता है; और

(ख) 10:00 बजे पूर्वाह्न से 05:00 बजे अपराह्न दोनों को सम्मिलित करते हुए तक का समय ऐसे समय के रूप में विनिर्दिष्ट करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, उक्त स्थान पर मतदान होगा।

आदेश से,

(सुमन कुमार दास)
सचिव